न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 47 / 2021

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री भागचन्द अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम, मैसर्स जय स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, गौरी देवी कॉम्पलैक्स, नसीराबाद रोड, माखुपूरा, अजमेर।
2. श्री अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्री भागचन्द अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम, मैसर्स जय स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, गौरी देवी कॉम्पलैक्स, नसीराबाद रोड, माखुपूरा, अजमेर।
3. मैसर्स जय स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, गौरी देवी कॉम्पलैक्स, नसीराबाद रोड, माखुपूरा, अजमेर।

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

अभिभाषक : श्री भंवर सिंह गौड़, अप्रार्थीगण की ओर से

–: आदेश :–

दिनांक– 30.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क–4 / 08 दिंनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर तत्समय ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खोये की बर्फी का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 25.03.2021 को 04:30 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स जय स्वीटस एण्ड रेस्टोरन्ट, गौरी देवी कॉम्पलैक्स, नसीराबाद रोड, माखुपुरा, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

से श्री भागचन्द अग्रवाल मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से वर्ष 2021 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने प्रस्तुत कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय एक ट्रे में लगभग 4–5 किलोग्राम खोये की बर्फी आम जनता कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त खोये की बर्फी कीं गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 02 किलोग्राम, 680/– रूपयें श्री भागचन्द अग्रवाल को नगद देकर गवाह श्री राजेश कुमार त्रिपाठी के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री भागचन्द अग्रवाल को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा खोये की बर्फी को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल (प्रत्येक में 500 ग्राम) में भरकर, प्रत्येक नमूना बोतल में 40–40 बूंद फार्मेलीन की डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं उप निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–2676 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वासय अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2021/3716 दिनांक 19.04.2021 के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/154/एक्ट/2021/107 दिंनांक 06.04.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया खोया की बर्फी अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 26.05.2021 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 26.05.2021 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। वकील अप्रार्थीगण की ओर से श्री भंवर सिंह गौड़ ने वकालतनामा एवं लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया।

नियत पेशी का वकील अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थी अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से वकील अप्रार्थी ने अपने लिखित प्रत्युत्तर में अंकित किया कि परिवाद के बिन्दु सं 1 से 3 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है, प्रार्थी इसे स्वयं सिद्ध करे। उन्होने कथन किया कि यह सत्य है कि दिनांक 25.03.2021 को प्रार्थी, दुकान पर आये थे। परिवाद के बिन्दु सं 5 से 7 मनगढ़त व झूठे है, परिवादी स्वयं साक्ष्य सहित इसे सिद्ध करे। यह कथन पूर्णतया अस्वीकार है कि परिवादी ने उनकी दुकान से कोई मिठाई का सैम्पल लिया था। परिवाद के बिन्दु सं 8 से 13 में वर्णित कथन जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वकील अप्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि कोविड–19 व लॉकडाउन के कारण अत्याधिक घाटा होने के कारण प्रतिष्ठान ब्रन्द करना पड़ा व वर्तमान में अप्रार्थी का प्रतिष्ठान पूर्णतया बन्द है। अप्रार्थी वर्तमान में पूर्णतया बेरोजगार है तथा विकट आर्थिक परिस्थितियों का सामना कर जीवन निर्वाह कर रहा है, अतः निवेदन है कि उक्त परिस्थितियों व आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक स्थिति के दृष्टिगत न्यून से न्यून जुर्माना राशि से दण्डित किया जावे।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

हमने अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर, परिवाद एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण का यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता है कि परिवादी द्वारा किसी प्रकार सैम्पल नहीं लिया गया, क्योंकि प्रपत्र Vए, मौका फर्द एवं नमूना खरीद बिल पर अप्रार्थी संख्या 1 श्री भागचन्द अग्रवाल के हस्ताक्षर है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया खोया की बर्फी अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया खोया की बर्फी अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री भागचन्द अग्रवाल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थीगण को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण पर रु. **10,000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र)** शस्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 30.07.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 30..07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) अजमेर
दिनाक :

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री भागचन्द अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम, मैसर्स जय स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, गौरी देवी कॉम्पलैक्स, नसीराबाद रोड, माखुपूरा, अजमेर।
5. श्री अभिषेक अग्रवाल पुत्र श्री भागचन्द अग्रवाल पुत्र श्री राधेश्याम, मैसर्स जय स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, गौरी देवी कॉम्पलैक्स, नसीराबाद रोड, माखुपूरा, अजमेर।
6. मैसर्स जय स्वीट्स एण्ड रेस्टोरेन्ट, गौरी देवी कॉम्पलैक्स, नसीराबाद रोड, माखुपूरा, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर